भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1837

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन 1946 (शक) को दिया जाना है

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह से एकत्रित जीएसटी राजस्व

1837. श्री विष्णु पद राय:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान होटल और पर्यटन उद्योग सहित अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सभी स्रोतों से वर्षवार कुल कितनी जीएसटी राजस्व राशि अर्जित हुई;
(ख) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह से एकत्रित जीएसटी को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या द्वीपसमूह से एकत्रित जीएसटी राजस्व का कोई हिस्सा द्वीपसमूह के विकास और कल्याण के लिए आबंटित या उपयोग किया जाता है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): होटल और पर्यटन उद्योग सहित अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल जीएसटी संग्रह (घरेलू) वर्ष-वार निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**राशि (करोड़ रु. में)**
2020-21	255
2021-22	332
2022-23	373
2023-24	428
2024-25 (फरवरी, 2025 तक)	431

* *सीजीएसटी, यूटीजीएसटी/एसजीएसटी, आईजीएसटी और उपकर शीर्षक के अंतर्गत*

(ख) और (ग): जी हां, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से निवल यूटीजीएसटी संग्रहण का ब्यौरा इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**राशि* (करोड़ रु. में)**
2019-20	192
2020-21	129
2021-22	169
2022-23	183
2023-24	190

** वित्त लेखा भारत सरकार*

(घ) और (ङ): अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संग्रहित जीएसटी राजस्व के अंश के आबंटन या उपयोग से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती है।

*****